

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखाण्ड अधिकारी

(राजस्व), मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 91/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. राजेन्द्र सिंह पुत्र बाघ सिंह		1. शेर सिंह पुत्र बुध सिंह(मृतक)
2. गोविन्द सिंह पुत्र बिकर सिंह		1/1.जोगेन्द्र सिंह पुत्र शेर सिंह
3. जसपाल सिंह पुत्र बिकर सिंह		1/2.गुरजिन्द्र सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह
सभी जातियान जटसिख निवासीगण		1/3 राजविन्द्र कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह
बडिगा तहसील श्रीकरणपुर		1/4 रूपेन्द्र कौर पत्नि बलविन्द्र सिंह
		जातियान जटसिख निवासीगण बडिगा
		जटसिख निवासी 8 वीं
		1/5.कर्मजीत कौर पत्नि इकबाल सिंह
		जटसिख निवासी गोविन्दगढ
		तहसील अबोहर
		1/6.अमरजीत कौर पत्नि अमृतपाल
		सिंह जटसिख निवासी बुर्जवाला
		1/7. गुरदीप कौर पुत्री शेर सिंह
		2. सन्दीप सिंह पुत्र हरी सिंह
		3. गुरबक्श सिंह पुत्र बुध सिंह
		4. गुरजीत सिंह पुत्र हरी सिंह
		5. हरमन्द्र सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह
		6. गुरप्रीत सिंह पुत्र सन्दीप सिंह
		7. गुरविन्द्र सिंह पुत्र सन्दीप सिंह
		8. गमदूर सिंह पुत्र हरनेक सिंह
		9. रविन्द्र सिंह पुत्र सेवक सिंह
		10. रणवीर सिंह पुत्र इन्द्र सिंह
		11. उपेन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह
		12. भूपेन्द्र सिंह पुत्र गुरदीप सिंह
		जातियान जटसिख निवासीगण बडिगा
		13. हरविन्द्र सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह
		जटसिख निवासी 2 जे जे तहसील
		पदमपुर
		14. स्वर्ण पाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह
		जटसिख निवासी बडिगा
		15. किरणपाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह
		16. अजीतपाल सिंह पुत्र गुरदीप सिंह
		17. मनजीत कौर पत्नि गुरदीप सिंह
		जातियान जटसिख निवासीगण 2
		एपीडीए तहसील विजयनगर
		18. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये
		तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:-30.08.2018

उपस्थित: 1. श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवक्ता वादीगण

2. श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14 ता17

--निर्णय--

दिनांक : 27/01/21

27/01/21

श्रीकरणपुर



संदेह में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 45एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 61/71 के मु० नं० 24 की 6. 074 हैक्ट. इसी चक के खाता संख्या 59/60 के मु.न. 21 व 29 की 1.056 हैक्ट. व इसी चक के खाता संख्या 8/14 के मु.न. 21 व 57/17 की कुल 1.603 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 43 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 गैरमुमकिन खाला भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 44 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 59/59 के मु.न. 5,7,15,37,38,39,69/16 की कुल 20.329 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व खाता संख्या 52/69 के मु.न. 40,41,44,51,63,69/9,69/18 की कुल 23.720 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इस खाता संख्या 62/69 में से 13.581 हैक्ट. भूमि का बंटवारा जरिए डिक्री दिनांक 08.03.2016 को हो चुका है। शेष 10.138 हैक्ट. भूमि साझा खाता में है। जो मु.न. 40 में 5.098 हैक्ट, मु.न. 44/41 में 4.898 हैक्ट. मु.न. 69/09 में 0.253 हैक्ट. गैरमुमकिन खाला मु.न. 69/16 में 0.089 हैक्ट. खाला कुल 10.138 हैक्ट. भूमि साझा खाता में दर्ज है। यह समस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साझा खाता की भूमि है जो तीनों चकों में स्थित है। और अपने अपने हिस्सा अनुसार काशत करने में असुविधा होती है। सभी सहखतोदारों द्वारा काशत की सुविधा हेतु इस भूमि का वाहमी बंटवारा किया हुआ है उसी अनुसार काबिज काशत है। वाहमी बंटवारा में वादी संख्या 1 राजेन्द्र सिंह के कब्जा काशत में चक 45 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 61/71 के मु.न. 24 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.074 हैक्ट. व इसी चक खाता संख्या 59/60 के मु.न. 21 के किला न 11/1 में 0.240 हैक्ट. भूमि, 12 सालम, किला न. 13/1 में 0.103 हैक्ट. किला न 19/1 में 0.156 हैक्ट., किला न. 20/1 में 0.240 है. कुल 0.992 हैक्ट. मु.न. 29 के किला न. 5/2 में 0.064 हैक्ट. इस प्रकार दोनो खातों में कुल 7.130 हैक्ट. नहरी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व वादी संख्या 1 के कब्जा काशत में है। इसी प्रकार वादी संख्या 2 व 3 के कब्जा काशत में चक 44 एफ के खाता संख्या 59 के मु.न. 5 के किला न. 24 सालम व किला न. 25 में 0.228 हैक्ट. कुल 0481 हैक्ट. व मु.न. 7 के किला नं. 1 ता 4 प्रत्येक 0.228 हैक्ट. किला न. 7,8,9,10,11,12,13,18,19,20 सालम-सालम, किला न. 21 में 0.227 हैक्ट किला न.22 में 0. 215 हैक्ट. किला न. 23 में 0.227 हैक्ट. कुल 4.111 हैक्ट. नहरी भूमि व मु.न. 69/16 में 0.127 हैक्ट. गैरमुमकिन खाला इस प्रकार कुल 4.718 हैक्ट. नहरी भूमि मय खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व वादी संख्या 2 व 3 के कब्जा काशत में है। वादगत भूमि संयुक्त खाता की भूमि है। जिसमें कृषि कार्य यथा बैक ऋण बाबत, सिंचाई व लगान तथा रास्ता के सम्बन्ध में असुविधा रहती है। जिस कारण इसका खाता विभाजन करवाया जाना आवश्यक है इसलिए वादीगण वाद पेश करने के अधिकारी हैं। वादीगण दिनांक 20.08.2018 को प्रतिवादीगण से मिलकर खाता विभाजन हेतु कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया यही वाद कारण है। राज्य सरकार को जरिए तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। जो पूर्ण कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण संख्या 1,2 व 3 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एवं वादपत्र में अंकित कब्जा काशत अनुसार अलग से खाता विभाजन किया जाकर किलावाइज भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे एवं अन्य कोई अनुतोष हो तो वादीगण को दिलाया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 की ओर से सुखविन्द्र सिंह अधिवक्ता उपस्थित आए प्रतिवादी संख्या 4,7,9,13 की तलबी विधिवत रूप से होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 10,11,12 की तलबी जरिए अखबार प्रकाशन से करवाई

20/10/2018
राजेन्द्र सिंह आदि बनाम शेर सिंह आदि

गई। किसी के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 10,11,12 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 की ओर से जवाब तथा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। वादीगण को प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम पर कोई एतराज नहीं है। जवाब स्टेट पेश हुआ। दोनो पक्षों के द्वारा निवेदन किया कि दोनो पक्ष वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम पर सहमत है। अतः वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम अनुसार वादपत्र डिक्री किया जावे तो उन्हें कोई एतराज नहीं है। दोनो पक्ष वादपत्र एवं काउन्टर क्लेम अनुसार डिक्री करवाने में सहमत है। इसलिए वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादीगण का वादपत्र एवं प्रतिवादीगण 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 शेर सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में वादीगण अधिवक्ता के द्वारा उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया। जो वाद सुनवाई स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखविन्द्र सिंह उपस्थित आए व प्रस्तुत वसीयत के अनुसार अनुतोष चाहा गया, के संबध में निर्देशित किया कि वे सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। प्रतिवादी संख्या 1/3 ता 1/7 वाद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दोनो पक्षों के अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया गया कि तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी की जावे तो हमें कोई एतराज नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र दस्तावेजात एवं काउन्टर क्लेम का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर चक 45एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 61/71 के मु0 नं0 24 की 6.074 हैक्ट. इसी चक के खाता संख्या 59/60 के मु.न. 21 व 29 की 1.056 हैक्ट. व इसी चक के खाता संख्या 8/14 के मु.न. 21 व 57/17 की कुल 1.603 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि, चक 43 एक की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 85/78 के मु.न.द 21 व 22 की कुल 4.807 हैक्ट. नहरी भूमि, चक 44 एक की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 59/59 के मु.न. 5,7,15,37,38,39,69/16 की कुल 20.329 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व खाता संख्या 52/69 के मु.न. 40,41,44,51,63,69/9,69/18 की कुल 10.138 हैक्ट. भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 अपनी आराजी का बार्ड-मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण संख्या 1 ता 3 व प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 को अपने हक हिस्से अनुसार खातेदार काशतकार घोषित कर भूमि का बार्ड मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि चक 45 एक की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 61/71 के मु0 नं0 24 की 6.074 हैक्ट. इसी चक के खाता संख्या 59/60 के मु.न. 21 व 29 की 1.056 हैक्ट. व इसी चक के खाता संख्या 8/14 के मु.न. 21 व 57/17 की कुल 1.603 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि, चक 43 एक की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 85/78 के मु.न.द 21 व 22 की कुल 4.807 हैक्ट. नहरी भूमि, चक 44 एक की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 59/59 के मु.न. 5,7,15,37,38,39,69/16 की कुल 20.329 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व खाता संख्या 52/69 के मु.न. 40,41,44,51,63,69/9,69/18 की कुल 10.138 हैक्ट. नहरी भूमि वादी संख्या 1 ता 3 व

9/10/18

राजेन्द्र सिंह आदि बनाम शेर सिंह आदि

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 91 आरटीए, प्रकरण संख्या 91/2018

प्रतिवादी संख्या 1,2,3,5,6,8,14,15,16,17 के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवारा करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे, तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्री करणपुर को बंटवारा करवाने हेतु अधिकृत किया। तहसीलदार श्री करणपुर द्वारा अपने पत्राक 9530 दिनांक 16.03.2020 व पत्राक 9513 दिनांक 13.03.2020 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात बंटवारा रिपोर्ट/प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की। सामिल पत्रावली की गई।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई, अधिवक्तागण ने दौराने बहस माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव का वाद डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस अधिवक्तागण एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि चक 45 एफ की जमाबंदी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 61/71 के मु0 नं0 24 की 6.074 हैक्ट. इसी चक के खाता संख्या 59/60 के मु.न. 21 व 29 की 1.056 हैक्ट. व इसी चक के खाता संख्या 8/14 के मु.न. 21 व 57/17 की कुल 1.603 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि, चक 43 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2072 ता 75 के खाता संख्या 85/78 के मु.न.द 21 व 22 की कुल 4.807 हैक्ट. नहरी भूमि, चक 44 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2069 ता 72 के खाता संख्या 59/59 के मु.न. 5,7,15,37,38,39,69/16 की कुल 20.329 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि व खाता संख्या 52/69 के मु.न. 40,41,44,51,63,69/9,69/18 की कुल 10.138 हैक्ट. नहरी भूमि का विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	राजेन्द्र सिंह पुत्र बाघ सिंह जटसिख निवासी बंडिगा	24	1 ता 4	0.228 हैक्टर	नहरी	1.89
			5	0.202 हैक्टर	नहरी	1.67
			6	0.228 हैक्टर	नहरी	1.89
			7 ता 14	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
			15	0.228 हैक्टर	नहरी	1.89
			16	0.228 हैक्टर	नहरी	1.89
			17 ता 24	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
		21	25	0.228 हैक्टर	नहरी	1.89
			11/1	0.240 हैक्टर	नहरी	1.99
			12	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
			13/1	0.103 हैक्टर	नहरी	0.85
			19/1	0.156 हैक्टर	नहरी	1.29
			20/1	0.240 हैक्टर	नहरी	1.99
			29	5/2	0.064 हैक्टर	नहरी
2	गमदूर सिंह पुत्र हरनेक सिंह जटसिख निवासी 45 एफ	21	18	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
			19/2	0.097 हैक्टर	नहरी	0.80
			21/1	0.240 हैक्टर	नहरी	1.99
			22	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
			23	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10
			24	0.253 हैक्टर	नहरी	2.10

20/1/21
 जिला न्यायाधीश
 जिला न्यायालय (श्री गंगानगर)

जातियान
जटसिख
निवासीगण
2 एपीडी
तहसील
विजयनगर,

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27/01/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

27/01/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

